न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/179/2016

उनवान

1. शंकर लाल पिता बरदा सुथार निवासी लांगरों का खेडा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 4/2013 निर्णय दिनांक 25.5.2015

अधिवक्तागण :–

1. श्री बी एल बापना, अधिवक्ता अपीलार्थी
2 श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 4.6.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 18.6.1992 को वादी श्री शंकर लाल पिता बरदा सुथार निवासी लांगरों का खेडा तहसील माण्डल को ग्राम धुवाला (मा.) में स्थित आराजी नम्बर 13 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा में से 4 बीघा 10 बिस्वा व आराजी नम्बर 100 रकबा 38 बीघा 2 बिस्वा में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

समस्या समाधान शिविर में किया गया था और आवंटनशुदा भूमि का कब्जा वादी को प्रदान किया गया, तब से अब तक वादी आवंटी उक्त आवंटनसुदा भूमि पर निरन्तर काश्त करता आ रहा है। वादी ने उक्त आवटित भूमि को हजारों रूपये की लागत लगाकर काबिलकाश्त बनाकर विकसित किया है । वादी का पूरा परिवार इसी आवंटित भूमि पर काश्त कर अपना गुजारा कर रहा है। इसके अलावा अन्य कोई भूमि वादी के पास नहीं है। वादी के साथ अन्य व्यक्तियों रतन सिंह पिता कालू सिंह राजपूत, मु0 अजीमा बेवा छोटु खां पीनारा, जगदीश पिता लक्ष्मण ब्राह्मण को भी दिनांक 18.6.1992 को भूमि का आवंटन किया गया था। जिनको खातेदार काश्तकार राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिया गया है किन्तु वादी को आवंटित भूमि अभी तक उसके नाम पर खातेदारी से दर्ज नहीं हुई है जबकि उक्त आवंटित भूमि पर वादी का आवंटन से पूर्व से आज पर्यन्त निरन्तर कब्जाकाश्त चला आ रहा है। आवंटन हुए 20 वर्ष हो गये हैं किन्तु अभी तक उक्त आवंटित भूमि वादी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है और काफी क्षति हो रही है। वादी के साथ ही अन्य लोगों को भूमि आवंटित की गई वह भूमि तो उनके नाम पर दर्ज कर दी गई किन्तु वादी को आवंटित भूमि उसके नाम पर दर्ज नहीं कर उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जबकि सभी को आवंटित भूमि की किस्म समान है।

2. चूंकि आवंटन के 20 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी उक्त आवंटित भूमि वादी के नाम राजस्व अधिकारियों की भूल से दर्ज नहीं हो पाई है और यह भूमि अभी तक बिलानाम सरकार के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के विरूद्ध 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार द्वारा नाजायज कब्जे की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कार्यवाही की जाती है और वादी को इस भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही की जाती है। जिससे वादी को भारी हानि होती है। वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि उक्त आवंटित भूमि वादी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज कराई जावे किन्तु प्रतिवादीगण ने अभी तक उक्त आवंटित भूमि को वादी के नाम पर दर्ज नहीं किया । वादी ने दिनांक 20.7.2012 को धारा 80 सी पी सी के तहत प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड नोटिस दिये जो उनको प्राप्त हो गये । फिर भी प्रतिवादीगण ने अब तक उक्त आवंटित भूमि वादी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज नही की है। अतः वाद अनुसार घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी पारित कराई जाकर ग्राम धुवाला (मा.) में स्थित आराजी नम्बर 13 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा में से 4 बीघा 10 बिस्वा व आराजी नम्बर 100 रकबा 38 बीघा 2 बिस्वा में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि कुल रकबा 6 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित कराया जावे और इन्द्राज दुरूस्ती द्वारा उक्त आवंटित भूमि वादी के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज कराई जावे। विकल्प में निवेदन है कि यदि किसी कानूनी अडचन की वजह से उक्त आवंटित भूमि वादी के नाम पर खातेदारी अधिकार से दर्ज नहीं की जा सके तो उक्त आवंटित भूमि के पास ही स्थित बिलानाम आराजी नम्बर 1313 रकबा 15 बीघा 01 बिस्वा में से या अन्य किसी आराजी में से उक्त आवंटित कुल रकबा 6 बीघा के बराबर के रकबे का आवंटन वादी के नाम पर कराया जाकर वादी को उसका खातेदार काश्तकार घोषित कराया जावे। स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित कराई जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द कराया जावे कि वे आवंटित आराजियात से वादी को बेदखल नहीं करें और नही उस पर पेनल्टी आरोपित करे

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे वादी के अधिकार प्रभावित हों।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्ण एवं डिक्री द्वारा वादिया का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीया ने न्यायालय हाजा में प्रथम अपील प्रस्तुत की।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कैम्प कोर्ट धुवाला पर दिनांक 25.5.2015 को उपस्थित होने के लिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को जरिये नोटिस सूचित ही नहीं किया गया था, जिससे वादी को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी । पटवारी हल्का से उक्त आवंटित भूमि की जमाबंदी की नकल लेने हेतु जून–2016 में जाने पर वहॉ जानकारी दी गई कि तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज हो गया है तब अपीलार्थी ने माण्डल न्यायालय में जाकर निर्णय का पता लगाकर वांछित नकल लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर नकल दिनांक 14.7.2016 को जारी की गई। इस प्रकार जानकारी होने की अवधि व निर्णय की नकल प्राप्त होने के उपरान्त अपील अन्दर अवधि पेश की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे ।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि दिनांक 18.6.1992 को अपीलार्थी शंकर लाल पिता बरदा सुथार निवासी लांगरों का खेडा पटवार क्षेत्र धुवाला (मा.) तहसील माण्डल स्थित आराजी नम्बर 13

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा में से 4 बीघा 10 बिस्वा व आराजी नम्बर 100 रकबा 38 बीघा 2 बिस्वा में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन समस्या समाधान शिविर में किया गया था और आवंटित भूमि का कब्जा अपीलार्थी को प्रदान किया गया, तभी से अब तक अपीलार्थी का आवंटित भूमि पर निरन्तर कब्जाकाश्त चला आ रहा है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी ने उक्त आवंटित भूमि को काबिलकाश्त बनाने में हजारो रूपये की लागत लगाई है। अपीलार्थी का पूरा परिवार इसी आवंटित भूमि पर काश्त कर अपना गुजारा कर रहा है। इसके अलावा अपीलार्थी के पास अन्य कोई भूमि नहीं है। अपीलार्थी के साथ ही अन्य व्यक्तियों रतन सिंह पिता कालू सिंह राजपूत, मु0 अजीमा बेवा छोटु खां पिनारा, जगदीश पिता लक्ष्मण ब्राह्मण को भी दिनांक 18.6.1992 को भूमि का आवंटन किया गया था। जिनको खातेदार काश्तकार राजस्व रेकाड्र में दर्ज कर दिया गया है परन्तु अपीलार्थी को आवंटित भूमि अभी तक उसके नाम पर खातेदारी से दर्ज नहीं हुई है। जबकि आवंटित भूमि पर अपीलार्थी का आवंटन के पूर्व से आज तक निरन्तर कब्जाकाश्त चला आ रहा है। आवंटन हुए 20 वर्ष हो गये है परन्तु आवंटित भूमि अपीलार्थी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं किये जाने से उसे काफी कठिनाई का सामना करना पड रहा है। अपीलार्थी के साथ भेदभाव किया जा रहा है अन्य आवंटितियों के नाम आवंटित भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दी गई है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि आवंटन नियम में यह प्रावधान है कि आवंटन के 10 वर्ष पश्चात आवंटी को स्वतः ही आंवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अतः वादग्रस्त आराजी का अपीलार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

यदि कोई कानूनी अडचन हो तो आवंटित भूमि के नजदीक ही बिलानाम आराजी नम्ब 1313 रकबा 15 बीघा 1 बि स्वा में से या अन्य किसी आराजी में से उक्त आवंटित कुल रकबा 6 बीघा के बराबर के रकबे का आवंटन वादी कें नाम पर कराया जाकर अपीलार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी को आवंटित भूमि का राजस्व रेकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज नहीं किये जाने से एवं राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज होने के कारण अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत नाजायज कब्जे की कार्यवाही की जाती है और अपीलार्थी को बेदखल करने की कार्यवाही के साथ–साथ पेनल्टी भी लगाई जाती है । इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वे अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल नहीं करें एवं पेनल्टी आरोपित नहीं करे।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 3.1.2013 को वाद पत्र प्रस्तुत करने के बाद प्रतिवादीगण को सम्मन व वाद पत्र की प्रति भेजी गई । जिसकी तामील होकर सम्मन वापस नहीं लौटने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.4.2015 की पेशी पर पुनः सम्मन तलवाना पेश करने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.7.2015 नियत की गई। उक्त तारीख पेशी दिनांक 16.7.2015 से पूर्व ही उक्त प्रकरण को दिनांक 25.5.2015 को कैम्प कोर्ट धुवाला पर प्रस्तुत कर दिया गया जिसकी कोई सूचना अपीलार्थी/वादी को नहीं दी गई थी । जिससे अपीलार्थी उक्त पेशी पर कैम्प कोर्ट धुवाला पर उपस्थित नहीं हो सका । कैम्प कोर्ट लोक अदालत में उन्हीं मामलों पर विचार किया जाता है

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जिनमें कि राजीनामा हो रहा होता है। अन्य किसी विवादित मामले का निर्णय गुणावगुण पर कैम्प कोर्ट में नहीं किया जा सकता है। कैम्प कोर्ट में तहसीलदार की मौका रिपोर्ट लेकर केवल इसी मौका रिपोर्ट के आधार पर वादी का वाद पत्र खारिज कर दिया गया और अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन भी नहीं किया गया । जबकि सिविल प्रकिया संहिता में वादी के वाद के निस्तारण की एक निश्चित प्रक्रिया बताई गई है जिसके अनुसार वादी के वाद पत्र का प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया जायेगा, तत्पश्चात दोनों पक्षों के अभिवचन (प्लीडिंग्स) के अनुसार तनकियात कायम की जायेगी, उसके बाद वादी को अपनी साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर देने एवं उसकी साक्ष्य अभिलिखित करने के बाद प्रतिवादी को अपनी साक्ष्य पेश करने व उसकी साक्ष्य लेने के पश्चात प्रत्येक तनकी पर आई साक्ष्य का न्यायालय द्वारा विवेचन कर उसका विनिश्चय किया जाकर मामले का गुणावगुण पर निर्णय किया जायेगा। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रक्रिया की तनिक भी पालना न कर केवल तहसीलदार की रिपोर्ट पर वादी का वाद पत्र खारिज करने का जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है।

11. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि भूमि आवंटन नियमों में यह स्पष्ट प्रावधान है कि भूमि आवंटन होने के 10 वर्ष पूर्ण होने पर आवंटी को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जायेगें और राजस्व रेकार्ड में आवंटी को आवंटित भूमि खातेदारी हक से दर्ज करने का दायित्व राजस्व अधिकारियों का होता है जिसकी उन्होनें सन् 2002 के पश्चात भी पालना नहीं कर आवंटन नियमों की अवहेलना की है जिससे उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। आवंटित भूमि को 10 वर्ष

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पश्चात भी आवंटी के नाम खातेदारी हक से दर्ज नहीं करने के कारण ही आवंटी को खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती के लिए वाद पत्र प्रस्तुत करना पडा है। तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर वादी का वाद खारिज किया गया है जो विधिक दृष्टि से विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर मामले का गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

12. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

13. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

14. अपीलार्थी /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 18.6.1992 को वादी श्री शंकर लाल पिता बरदा सुथार निवासी लांगरों का खेडा तहसील माण्डल को ग्राम धुवाला (मा.) में स्थित आराजी नम्बर 13 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

में से 4 बीघा 10 बिस्वा व आराजी नम्बर 100 रकबा 38 बीघा 2 बिस्वा में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन समस्या समाधान शिविर में किया गया था और आवंटनशुदा भूमि का कब्जा वादी को प्रदान किया गया, तब से अब तक वादी आवंटी उक्त आवंटनसुदा भूमि पर निरन्तर काश्त करता आ रहा है। वादी ने उक्त आवटित भूमि को हजारों रूपये की लागत लगाकर काबिलकाश्त बनाकर विकसित किया है । अपीलार्थी/ वादी को आवंटित भूमि अभी तक उसके नाम पर खातेदारी से दर्ज नहीं हुई है जबकि उक्त आवंटित भूमि पर वादी का आवंटन से पूर्व से आज पर्यन्त निरन्तर कब्जाकाश्त चला आ रहा है। आवंटन हुए 20 वर्ष हो गये हैं किन्तु अभी तक उक्त आवंटित भूमि वादी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है और काफी क्षति हो रही है। वादी के साथ ही अन्य लोगों को भूमि आवंटित की गई वह भूमि तो उनके नाम पर दर्ज कर दी गई किन्तु वादी को आवंटित भूमि उसके नाम पर दर्ज नहीं कर उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अतः वादग्रस्त आराजी का अपीलार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं यदि कोई कानूनी अडचन हो तो आवंटित भूमि के नजदीक ही बिलानाम आराजी नम्ब 1313 रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा में से या अन्य किसी आराजी में से उक्त आवंटित कुल रकबा 6 बीघा के बराबर के रकबे का आवंटन वादी कें नाम पर कराया जाकर अपीलार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

15. अपीलार्थी ने कथन किया कि उसके साथ–साथ अन्य आवंटियों को भी आवंटन किया गया था। वह भूमि तो उनके नाम पर दर्ज कर दी गई। इसके संबंध में अपीलार्थी सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दिनांक 18.6.1992 को मुकाम धुवाला (मा.) भू आवंटन सलाहकार समिति की बैठक

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। जिसका अवलोकन किया गया इसके अनुसार दिनांक 18.6.1992 को मुकाम धुवाला (मा.) भू आवंटन सलाहकार समिति की बैठक समस्या समाधान शिविर के तहत मुकाम धुवाला (मा.) में आयोजित की की गई एवं जिसमें जो सदस्यगण उपस्थित रहे हैं एवं अपीलाण्ट के साथ साथ रतन सिंह आत्मज कालू सिंह राजपूत निवासी धुवाला (मा.), मु0 अजीमा बेवा छोटु खॉ पीनारा, मुसलमान निवासी दांता, हाल निवासी माण्डल, एवं जगदीश आत्मज लक्ष्मण ब्राह्मण निवासी धुवाला भूमि का आवंटन किये जाने का अंकन है। अपीलार्थी के अलावा अन्य आवंटियों जिसमें रतन सिंह आत्मज कालू सिंह राजपूत निवासी धुवाला (मा.), मु0 अजीमा बेवा छोटु खॉ पीनारा, मुसलमान निवासी दांता, हाल निवासी माण्डल, एवं जगदीश आत्मज लक्ष्मण ब्राह्मण निवासी धुवाला का नाम अंकित है। परन्तु इन आवंटियों को जो भूमि आवंटन हुई है उन आवंटियों का नाम राजस्व रेकार्ड (जमाबंदी) में दर्ज किया गया हो एवं उनको खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हों इसके संबंध में अपीलार्थी ने कोई दस्तावेज, राजस्व रेकार्ड न तो अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं एवं न ही न्यायालय हाजा में ही प्रस्तुत किये हैं।

16. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 3.1.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी करने के निर्देश दिये जाने के साथ ही आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.1.2013 नियत की गई। दिनांक 29.1.2013 को पीठासीन अधिकारी दौरे पर होने से प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 7.5.2013 नियत की गई। उसके उपरान्त लगातर पॉच पेशियों पर प्रकरण में आगामी तारीखे बदली जाती रही। दिनांक 23.4.2015 को प्रकरण में आदेशिका अंकित की गई। '' वकील वादी उपस्थित।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण के तलवाना सम्मन नोटिस पेश करें पत्रावली दिनांक 16.7.2015 को पेश हो।''

17. प्रकरण में पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 16.7.2015 को ही न्यायालय में प्रस्तुत की जानी चाहिये थी। परन्तु दिनांक 16.7.2015 से पूर्व ही प्रकरण को दिनांक 25.5.2017 को कैम्प कोर्ट धुवाला में रखा गया । जहॉ पर तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई । जिस पर बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया गया ।

18. प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी को तलवाना जारी कर आगामी पेशी नियत की गई थी। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रकरण में तनकियात कायम की जाकर उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान कर अधीनस्थ न्यायालय को तनकीवाईज विस्तृत निर्णय पारित करना चाहिये था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है।

19. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन से यह तथ्य भी भलीभॉति प्रकट हुआ है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखे जाने से पूर्व अपीलार्थी/वादी को सूचना पत्र जारी कर सूचित नहीं किया गया था। जबकि प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखे जाने से पूर्व उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अपीलाधीन मामले में अपीलार्थी/वादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। जबकि मूल वाद में पक्षकार के हक हितों का अंतिम तौर पर निस्तारण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किया जाता है। ऐसी स्थिति में पक्षकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है एवं न ही प्रतिवादीगण की ओर से प्रकरण में कोई जवाब दावा ही प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण को कैम्प कोर्ट धुवाला में रखे जाने से पूर्व उभयपक्ष की उपस्थिति भी सुनिश्चित नहीं की गई है। चूंकि मूल वाद में पक्षकार के हक हितो का अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना पक्षकार को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है परन्तु अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। मात्र तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। जिसका समर्थन किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

20. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.5.2015 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तनकीवाईज विस्तृत निर्णय पारित किया जावे । उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.7.19 को उपस्थित रहे।

21. निर्णय आज दिनांक 4.6.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

4/6/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा